पत्रांकः—9/विविध—14—08/2017, सा0प्र0.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

पटना—15, दिनांक.....................

विषयः— **बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत पद नामित उच्चवर्गीय लिपिकों की सामान्य वरीयता सूची तैयार किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम—13 के अंतर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की परस्पर वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार कर संधारित की जानी है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग में कार्यरत उक्त सेवा के सभी उच्चवर्गीय लिपिकों से संबंधित सूचनाएँ संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही कर्मियों की सेवापुस्ति एवं नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति दिनांक—30.06.2017 तक प्रेषित करने की कृपा की जाय। उक्त सूचना प्रेषित करने के क्रम में कृपया निम्नांकित बिन्दुओं को संज्ञान में रखा जायः—

1. प्रशासी विभाग का दायित्व होगा कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों, निदेशालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों से भी प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित रूप में सूचना प्रेषित की जाय तथा यह स्पष्ट रूप से अंकित की जाय कि इसके अतिरिक्त किसी और उच्चवर्गीय लिपिक का नाम शेष नहीं है। अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रशासी विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. विभाग द्वारा यह जाँच कर ली जायेगी कि भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के उच्चवर्गीय लिपिकों के अतिरिक्त कोई अन्य पदनाम/संवर्गों के कर्मी शामिल न हों।

3. ऐसे कई दृष्टांत मिले हैं जिसमें टंकक, दिनचर्या लिपिक एवं विपत्र लिपिक से

कृ0पृ0उ0

भिन्न पदनाम/संवर्ग के कर्मियों को उच्चवर्गीय लिपिक में पदनामित कर लिया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना उपलब्ध कराये जाने के पूर्व ऐसे मामलों की पहचान कर विभागीय स्तर पर ही परिमार्जन कर लिया जाय। कृपया ऐसे कर्मियों का नाम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु नहीं भेजी जाय।

अनु0– विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 9/विविध–14–08/2017, सा0प्र0 5972/पटना–15, दिनांक– 19/5/17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/5/17
सरकार के अवर सचिव।

सेवा इतिहास

1.	सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)	:- :-	
2.	पिता / पति का नाम	:-	
3.	जन्म तिथि (अंक एवं शब्दों में)	:-	
4.	आरक्षण कोटि	:-	
5.	टंकक / दिनचर्या लिपिक एवं विपत्र लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि (नियुक्ति पत्र एवं योगदान स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
6.	बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मी हैं अथवा नहीं ? यदि हैं तो सेवा में आने का माध्यम	:-	
7.	आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक (अनुशंसा पत्र की छायाप्रति सहित)	:-	
8.	सरकारी सेवा में प्रथम धारित पद का नाम एवं योगदान की तिथि	:-	
9.	उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति / योगदान की तिथि	:-	
10	प्रोन्नति की तिथि को निर्धारित मूल वेतन	:-	
11.	सेवा संपुष्टि की तिथि	:-	
12.	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	:-	
13.	कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	:-	